बिहार सरकार
कृषि विभाग
आदेश

संचिका संख्या–2(गो०)सी०(कोर्ट) 04/16 कृ०/पटना, दिनांकः– 2017

मो0 हसन इमाम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गरखा (सारण) सम्प्रति सेवा निवृत एवं मृत को घूस लेते रंगे हाथों निगरानी टीम द्वारा दिनांक 06.07.1988 को गिरफतार किया गया एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–19/88 दर्ज किया गया। स्व0 इमाम दिनांक 06.07.1988 से 05.08.1988 तक कारावास में रहे। विभागीय आदेश संख्या 1367 दिनांक 30.09.1988 द्वारा स्व0 इमाम दिनांक 30.09.1988 से निलंबित किये गए एवं आदेश संख्या 1313 दिनांक 18.08.1993 द्वारा निलंबन से मुक्त किये गए। इस प्रकार स्व0 इमाम दिनांक 30.09. 1988 से 17.08.1993 तक निलंबित रहे।

श्री इमाम को उक्त थाना काण्ड संख्या में विशेष न्यायालय (निगरानी), पटना द्वारा एक वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना का दण्ड दिया गया। उक्त सजा के विरूद्ध श्री इमाम द्वारा Criminal Appeal (SJ) No 210 of 2001 दायर किया गया जिसके लंबित रहते स्व0 इमाम की मृत्यु दिनांक 30.06.2008 को हो गई।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा Criminal Appeal (SJ) No 210 of 2001 में दिनांक 16.12.2013 को निम्नलिखित न्यायादेश पारित किया गयाः–

" ---- and the order of conviction and sentence passed against the appellant on 8.6.2001 by the special Judge (vigilance) North bihar, patna in special case no 19 of 1988 is set aside----."

उक्त न्यायादेश के आलोक में स्व0 मो0 हसन इमाम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गरखा (सारण) के निलंबन अवधि (दिनांक 30.09.1988 से 17.08.1993 तक) एवं कारावास अवधि (दिनांक 06.07.1988 से 05.08.1988 तक) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–11 (3) एवं 11 (4) के तहत सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर बिताई गई अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन तथा भत्ते के भुगतान का आदेश दिया जाता है। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव

/कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वै०दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– अवर सचिव ई0–इजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सी0डी0 सहित राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पटना सदर/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– मो0 शकीलातुल फातमा, पत्नी–स्व0 मो0 हसन इमाम, जी0–1 इकबल युसूफ कम्पलेक्स, शब्जीबाग, पटना–800004, मोबाईल–9934719492, को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2017

प्रतिलिपि– उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– /कृ0, पटना, दिनांक– 2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 1048 /कृ0, पटना, दिनांक– 08/11/ 2017

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

07.11.17

D:\Prakash se-2\Adesh.Adhisuchna.sankalp 2017.docx